प्रथम

अध्याय

अध्ययन की पृष्ठभूमि

प्रथम - अध्याय
अध्ययन की पृष्ठभूमि

1.1.0 भूमिका

इंसान खुदा की बनाई हुई बेहतरीन मखलूख (जीव–जन्तु) में से एक है और इंसान को ईश्वर से इल्म (शिक्षा) की दौलत से नवाजा है। शिक्षा इस सर्वोत्कृष्ठ कार्य को संवारती एवं निखारती है ज्ञान के आलोक से मानव को आलोकित करना है। शिक्षा है शिक्षा ही मानव को संवारने का बहुमूल्य साधन है। शिक्षा ही मानव को संवारने का बहुमूल्य साधन है।

शिक्षा से ही व्यक्ति के जीवन में निखार आता है हमारे प्राचीन साहित्य में शिक्षा के बारे में कहा गया है कि शिक्षा वह धन है जो न चुराया जा सकता है। और न बटवारे में बांटा जा सकता है। बल्कि इसे जितना खर्च किया जाये वह उतना ही समृद्ध होता जाता है।

वर्तमान युग के शिक्षक का कर्तव्य न केवल छात्रों का परम्परागत रूप से शिक्षा देना है। बल्कि उन शिक्षण विधियों के द्वारा अध्यापन कार्य कराना है जो शिक्षाविदों एवं मनोवैज्ञानिकों द्वारा मान्य की गयी है तथा यह चिंतन भी करना है। की बालक को कौन–कौन सी शिक्षा किस प्रविधि से प्रदान की जाये। इसके अतिरिक्त शिक्षक का कर्तव्य शिक्षा का सर्वव्यापीकरण में सहयोग देना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् हमारे देश के शिक्षा के लोकवयापी करण के लिए सभी नागरिक शिक्षित हो, इस हेतु सतत् प्रयास किये गये है।

हमारे देश में मुस्लिम शासन मुख्यतः सन् 1192 से 1708 ई. तक रहा इस युग में मुस्लिम संस्कृति का प्रभाव हमारे देश की संस्कृति पर पड़ाता रहा मुस्लिम शासको ने भारतीय शिक्षा के स्वरूप मे एक नवीन शिक्षा प्रणाली का जन्म दिया मोहम्मद गौरी प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने मकतबों और मदरसों का निमार्ण कराया। प्रारंभिक शिक्षा मकतबो तथा मस्जिदों में प्राप्त

करने के पश्चात मदरसों मे शिक्षा प्राप्त की जाती थी। इसी उद्देश्य से मदरसों का निमार्ण कराया गया।

मदरसा शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के ''दरस'' शब्द से हुई है। जिसका अर्थ है तालीम 'सबक' नसीहत Word Dars means to fell something or "to teach something" so the word "Madris" mean the one who feels Dars the one who fells or teach something there fare, the word Madarsha-mean "the place where something is taught" मदरसा से हमारा तात्पर्य वह संख्या जो अरबी ओर इस्लामी, दीनियात या धार्मिक शिक्षा प्रदान करती है। मदरसा ही एक एसी संस्था है जो गरीब मुस्लिम परिवारो के बच्चों को बिना किसी फीस, रहने व खाने की व्यवस्था करती है। तथा उनको शिक्षित बनाती है।

मध्यप्रदेश में मदरसा शिक्षा –

सारक्षता की दृष्टि से हम मुस्लिम शिक्षा को नज़र अन्दाज़ नहीं कर सकते क्योंकि भारत की कुल जनसंख्या मे सबसे बड़ी संख्या 13.4: मुस्लिम अल्पसंख्यक है। अतः इनकी शिक्षा के बिना हम सम्पूर्ण सारक्षता प्राप्त नहीं कर सकते है। सारक्षता के मामले में मध्यप्रदेश की स्थिति चिंतनीय है। और शिक्षा के लोकव्यापीकरण में प्रदेश की उपलब्धि का प्रतिशत कम है।

अतः मध्यप्रदेश शासन ने 1993 मे मदरसा बोर्ड गठन किया एवं 1998 से मदरसा का आरम्भ किया इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों, झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में तथा मस्जिदों में चल रहे मदरसों के छात्रों मे धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ गणित, पर्यावरण, विज्ञान और अंग्रेजी की शिक्षा देकर शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की गई इस हेतु सरकार द्वारा पंजीकृत मदरसों मे निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों विरण ओर अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति विवरण आदि की सुविधायें दी गई है। अतः मध्यप्रदेश मे मुस्लिम शिक्षा में मदरसों की जवाबदारी बढ़ गई है।

3) मुस्लिम शिक्षा में मदरसे की भूमिका –

- मुस्लिम समाज के पिछड़ेपन का ठोस कारण उनकी शैक्षिक स्थिति है। (गोपाल सिंह कमेटी)
- अब संविधान में "शिक्षा का अधिकार" आरटीई. वर्तमान समय में शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू किया गया है जिसके अनुसार The Right of children to free and compulsory education act 2009, 27 August 2009 को लागू किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE)

- शिक्षा की गारंटी का कानून – निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 बोलचाल मे इसे RTE Act कहा जाता है।
- यह कानून 6 से 14 साल के आयु समूह के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की दिशा में अपनाया गया महत्वपूर्ण क़दम है।
- इसमें 6 से 14 साल के आयु समूह में बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है।
- 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चों को पड़ोस स्थित स्कूल मे प्रारभिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा।
- कक्षा के अन्य बच्चों के समकक्ष लाने के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है
- निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- बच्चों की स्कूल में भर्ती नियमित उपस्थिति तथा प्रारंभिक शिक्षा पूरी होना सुनिश्चित करना।
- स्कूल में अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना।

- कार्य की तलाश में पलायन करने वाले परिवारों के बच्चो की स्कूल मे भर्ती सुनिश्चित करना।
- 3 से 6 साल तक के बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा के उद्देश्य से स्कूल पूर्व शिक्षा की व्यवस्था अधिनियम में की गई है।
- सभी शासकीय तथा स्थानीय निकाय स्कूलों में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- सभी अनुदान प्राप्त स्कूलों को अनुदान के अनुपात में छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देनी होगी। लेकिन छात्रों की यह संख्या कुल प्रवेशित छात्रों की संख्या से 25 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

केन्द्र शासन द्वारा संचालित विशिष्ट श्रेणी के स्कूलों मे कक्षा –1 में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश कमजोर वर्ग तथा वंचित समूह के बच्चों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इन बच्चों को स्कूल द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये बच्चे प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक कूल में प्रेविशित रहेंगे।

हमारे प्रदेश के गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए मदरसा शिक्षा एक मील का पत्थर साबित हुई है। तथा समाज मे पिछड़े एवं मुख्य धारा से वंचित बच्चों को वापस लाने मे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। मदरसे के विकास का कारण, मुगल साम्राज्य के पतन ब्रिटिश वर्चस्व के बाद मुस्लिम कल्चर को फिर से बनाने एवं अपनी संस्कृति और धर्मिक पहचान बनाये रखने के लिए आवश्यक है इसके साथ–साथ हमारे देश की एकता में अनेता की छवि को बनाने से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है।

1) मदरसें के मुख्य हिस्से –

1) मक्तब – यह मस्जिद या छोटे मकानों में संचालित होते है। इसमें प्राथमिक धार्मिक शिक्षा दी जाती है।

2) मदरसा – वह संस्था जहाँ धार्मिक एवं आधुनिक शिक्षा उच्च प्राथमिक स्तर तक दी जाती है।

3) जामियाज़ – इस संस्था में उच्चतर माध्यमिक स्तर से स्नात्कोत्तोर स्तर तक कि शिक्षा दी जाती है तथा स्पेशिलाइजेंशन भी कराया जाता है।

मदरसा शिक्षा का ढ़ाँचा

क्रमांक	स्तर	कक्षा	समकक्ष
1	तेहतेनिया	नर्सरी से पांचवी	प्राथमिक शिक्षा
2	फक्कानिया	छटवी से आठवी	माध्यमिक शिक्षा
3	मुन्शी	नवी से दसवी	उच्च माध्यमिक
4	टालिम	ग्यारहवी से बारहवी	हायर सेकेण्ड्री
5	क्मिल	बी.ए	स्नातक
6	फाज़िल	एम.ए.	स्नात्कोत्तर

वर्तमान समय नवीन प्रयोगों एवं अनुसंधान का है। शिक्षा जगत मे शिक्षा की प्रभावशिलता हेतु अनेक प्रयोग समय–समय पर किये जाते रहे हैं। जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली आधुनिक शिक्षा प्रणाली से परीचित हुई। चूंकि मदरसो में ''आधुनिक शिक्षा'' शिक्षा के क्षेत्र में ''नवीन अवधारणा एवं नवाचार थी'' यह कार्य मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया वर्तमान समय में मध्यप्रदेश में 1558 मदरसा पंजीकृत है तथा इसमें लगभ 100084 मुस्लिम छात्र–छात्राऐं लाभांवित हो रही है। दो शिक्षा का एक ही स्थान पर आयोजन करने से विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि एवं रूचि बढ़ाने से मदरसा शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तथा मुस्लिम शिक्षा को सफल बनाने में मदरसा शिक्षा सार्थक है।

मदरसा बोर्ड का गठन – म.प्र. शासन के मदरसा शिक्षा के विकास एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्संख्यकों में शिक्षा के लोकव्यापीकरण की दृष्टि से म.

प्र. सरकार ने 21 सितम्बर 1998 को विधान सभा में अधिनियम पारित कर म.प्र. मदरसा बोर्ड का गठन किया गया।

मदरसा बोर्ड के मुख्य कार्य – परम्परागत मदरसों को दीनियात (धार्मिक शिक्षा) के साथ–साथ छात्रों को आधुनिक शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत मदरसों का शासकीय योजनाओं से जोड़ना, पर्यवेक्षण करना तथा समय–समय पर राज्य शासन को सलाह देना है। जिससे मदरसों से अध्ययनरत् विद्यार्थी धार्मिक शिक्षा के साथ–साथ गणित, विज्ञान, अंग्रेज़ी, हिन्दी आदि विषयों की शिक्षा प्राप्ति का कक्षा आठवीं तक नियमित पाठयक्रम के अन्तर्गत अध्ययन का लाभ उठा सके। और अपने भविष्य को उज्जवल बना सके।

शासकीय शाला व्यवस्था – शासकीय शालाओं की व्यवस्था प्रत्येक राज्य, शासन द्वारा स्वीकृत शिक्षण मापदण्डों के आधार पर करता है। प्रत्येक राज्य शिक्षा की दृष्टि से कुछ नीतियाँ योजनाएँ कार्यक्रम तैयार करने के पश्चात् उसको प्रभावी क्रियान्वयन का पाठ दायित्व शिक्षा विभाग को सौंप देता है। फलस्वरूप विभाग निर्धारित मापदण्डों के अनुसार राज्य के विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करने हेतु गांवी एवं शहरों में स्कूल है। इस शालाओं में छात्र/छात्राओं को बिना भेदभाव के समान रूप से शिक्षा दी जाती है।

जिस प्रकार बालक के जीवन पर माता–पिता का प्रभाव पड़ता है ठीक उसी प्रकार विद्यार्थी के जीवन में विद्यालय का प्रभाव पड़ता है। जिसमें शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती हैं विद्यार्थी बहिर्मुखी व अन्तर्मुखी दोनों प्रकार के होते है, जो विद्यार्थी बहिर्मुखी होते है वह विद्यालय में कार्यक्रमों में विशेष रूचि लते है मित्रों से संबंध बनाते है अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते है। इनमें नेतृत्व के गुण जैसे – साहसी, निडर, निर्मिक स्व निर्णय बाह्य जगत में रूचि रखना आदि भी पाये जाते हैं इनमें किसी नये कार्य को करने की इच्छा होती है और वह उसे निर्माण व सृजन भी करते है।

इसी प्रकार कुछ विद्यार्थी अन्तर्मुखी व्यक्तित्व के भी होते है ये संकोची स्वभाव वाले होने कारण अपने विचारो को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में असफल रहते है। परंतु पढ़ने मे रूचि लेते है और इनकी कार्य क्षमता भी अधिक होती है। अतः शिक्षक का दायित्व है कि वह इन अंतर्मुखी व्यक्तित्व वाले विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता व सृजनात्मकता के गुणों का विकास करें।

1.2.0 प्रत्ययों की व्याख्या

1.2.1 सृजनात्मकता

आज का प्रतियोगी पूर्ण संसार एवं समस्यायुक्त समाज सृजनशील मस्तिष्क चाहता है। आज प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मकता की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। हमारे देश में समस्याऐं इतनी जटिल है। इन समस्याओं को यदि कोई सुलझा सकता है तो वह विद्यालय में अध्यापन कार्य में कार्यरत शिक्षक है। एक सृजनशील शिक्षक बालकों के प्रश्नों को आदर की दृष्टि से देखता है। उन्हें अभ्यास विचारों की मान्यता, उनमें अपने आप सीखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना, सृजनात्मक प्रयासों को पुरस्कृत करना, सृजनात्मक, व्यक्तित्व को विकसित करना सृजनात्मक अध्यापक की प्रमुख विशेषताऐं है। यदि किसी प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कोई नवीन कार्य सम्पन्न होता है। तथा किसी अमुक समय के लिये वह किसी समूह विशेष द्वारा संतोष प्रिय उपयोगी एवं लाभकारी समझकर स्वीकार कर लिया जाता है। तो वह प्रक्रिया अवश्य ही सृजनात्मक होगी।

1.2.2 उर्दू भाषा

उर्दू भाषा हिन्द आर्य भाषा है। उर्दू भाषा हिन्दुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी–फारसी और संस्कृत से तद्भव शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। यह भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है तथा

पाकिस्तान की राष्ट्रभाषा है। इस के अतिरिक्त भारत के राज्य जम्मू और कश्मीर की मुख्य प्रशासनिक भाषा है। साथ ही तेलंगाना, दिल्ली, बिहार, और उत्तर प्रदेश की अतिरिक्त शासकीय, भाषा है।

1.3.0 अध्ययन की आवश्यकता

अनुसंधान एक ऐसा कार्य है। जो हमें किसी न किसी क्षेत्र में प्रगति की ओर ले जाता है। कहा जाता है कि "आवश्यकता अविष्कार की जननी है।" तीव्र परिवर्तन के इस युग में देश की प्रगति के लिये सृजनात्मकता के महत्व को स्वीकार करते हुये हम यह पाते हैं कि मानव जीवन में परिवर्तन तथा नवीनता का आगमन स्वभाविक गुण है। जो समस्त व्यक्तियों में पाया जाता है। परन्तु यह किसी में कम तो किसी में अधिक पाया जाता है। प्रायः यह धारणा है कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, वैज्ञानिक, फिल्म अभिनेता आदि ही सृजनशील व्यक्ति होते है। परन्तु आज के समय में यह विचार मान्य नहीं है क्योंकि भूमण्डलीयकरण के कारण व्यावसायिक व सामाजिक रूप में कैरियर के नित नये मार्ग खुल रहे है। जिसमें सृजनात्मकता अपना सुखद एवं विशेष प्रभाव दिखा सकती है।

1998 से पूर्व मदरसों में केवल दीनीतालीम धार्मिक शिक्षा तथा उर्दू, अरबी का ज्ञान दिया जाता था और अधुनिक शिक्षा हेतु स्कूल व्यवस्था पृथक होती थी। अतः अब इनका एक ही स्थान पर आयोजन करने से विद्यार्थियों की विभिन्न विषयों में उपलब्धि स्तर का परीक्षण करना महत्वपूर्ण होगा। शासकीय शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी एवं मदरसों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं की विभिन्न विषयों में शैक्षिक उपलब्धि स्तर जानने के लिय मुल्यांकन अध्ययन की आवश्यकता है।

मदरसों एवं शासकीय स्कूल में शिक्षा के विषय में उपलब्धि स्तर पर अधिक कार्य नहीं हुआ है। फलस्वरूप इस विषय पर व्यापक एवं गहन अध्ययन शोध करने योग्य है। अतः शोधकर्ता ने इस विषय को शोध के लिये चुना।

पूर्व में किये गये शोध

अहमद जहीर (2007) ने मदरसा एवं शासकीय माध्यमिक शाला की पर्यावरण, गणित, विषय की उपलब्धि का उनके बुद्धि के परिपेक्ष्य में अध्ययन किया। इन्होंने भोपाल जिले के 150 छात्रों का चयन किया इस हेतु उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया विश्लेषण हेतु माध्यमान, मानक विचलन तथा टी परीक्षण का प्रयोग किया, शोध अध्ययन के निष्कर्ष में यह पाया गया कि शासकीय विद्यालय के छात्रों की बुद्धि और मदरसा के छात्रों की बुद्धि में कोई सार्थक अंतर नहीं है।

कौसर, सालेहा (2012) ने माध्यमिक स्तर के विद्यालय एवं मदरसा के विद्यार्थियों की उर्दू, गणित एवं विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन किया इन्होंने अपने शोध अध्ययन हेतु 100 छात्रों का चयन किया अध्ययन के निष्कर्ष में पाया गया कि शासकीय शाला के विद्यार्थियों की गणित एवं विज्ञान विषय में शैक्षिक उपलब्धि का स्तर अच्छा है।

मदरसों एवं शासकीय स्कूल में शिक्षा के विषय में उपलब्धि स्तर पर अधिक कार्य नहीं हुआ है, फलस्वरूप इस विषय पर व्यापक एवं गहन अध्ययन शोध करने योग्य है अतः शोधकर्ता ने इस विषय को शोध के लिए चुना।

1.4.0 समस्या कथन

कक्षा 6 के भोपाल मदरसों के विद्यार्थियों की भाषा और सृजनात्मकता की शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन

1.5.0 चरों की संक्रियात्मक परिभाषा

1.5.1 मदरसा बोर्ड

मदरसा शिक्षा के विकास एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में शिक्षा के लोक–व्यापीकरण के तहत केन्द्र प्रवर्तित मदरसा आधुनिकरण योजना

के प्रभावी क्रियान्वयन की दृष्टि से मध्यप्रदेश सरकार, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 21 दिसम्बर 1998 को विधानसभा में अधिनियम पारित कर मध्यप्रदेश मदरसा बोर्ड का गठन किया गया।

मध्यप्रदेश मदरसा शिक्षा योजना हेतु मदरसा बोर्ड अधिनियम 1998 में वर्णित बोर्ड के अधिकार –

- मदरसा शिक्षा को निर्देशित करना तथा उसका पर्यवेक्षण करना।
- मदरसों को मान्यता देना।
- मदरसों की मान्यता को वापस लेना।
- मदसों की विभिन्न प्रबंध समितियों की नियुक्ति करना।
- मदरसा शिक्षा के प्राथमिक एवं मिडिल स्तर के लिए पाठयक्रम विवरण विहित करने हेतु।
- मदरसों का निरीक्षण करना।
- मदरसा शिक्षा के संबंध में केन्द्रीय और राज्य सरकारों को योजना के क्रियान्वयन को पर्यवेक्षण करना।
- राज्य सरका के अनुमोदन के लिए बोर्ड के वार्षिक बजट का प्राम्कलन तथा लेखा को तैयार करना।
- ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना। जो कि राज्य सरकार द्वारा सौंपे जाये।
- म.प्र. मदरसा शिक्षा योजना हेतु मदरसा बोर्ड अधिनियम

मदरसा बोर्ड द्वारा किये जा रहे कार्य –

- मदरसों का पंजीयन व आधुनिक शिक्षा हेतु माध्यमिक स्तर तक मान्यता देना।
- मदरसा संचालन समिति का पंजीयन।
- मदरसा शिक्षा का क्रियान्वयन व पर्यवेक्षण।

- राज्य एवं केन्द्र प्रवर्तित मदरसा आधुनिकरण शिक्षा का क्रियान्वयन, प्रचार व प्रसर करना।
- परम्परागत मदरसों को आधुनिक शिक्षा के लिए प्रोत्सहित करना।
- उर्दू माध्यम की हाईस्कूल व हायर सेकेण्डरी परीक्षाओं का संचालन पत्राचार के पद्धति के द्वारा वर्ष में दो बार, ओपन स्कूल के सहयोग से करना।
- मदरसों के शिक्षकों के क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान (रीजनल कॉलेज) तथा जिला शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से आधुनिक विषयों के निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
- राज्य स्तरीय खेलकूद, साहितयिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
- राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के प्रदत्त शक्तियों के अनुसार उल्लेखित कार्य करना।

1.5.2 सृजनात्मकता

"सृजनात्मकता वह गुण है। जो नवीन तथा वांछित वस्तु के उत्पादन की और आकृष्ट करें। यह नवीन उत्पादन संपूर्ण समाज अथवा केवल उत्पादक व्यक्ति के लिए नवीन हो सकता है।"

डीहान तथा हेविंगहर्स्ट

"कोई भी क्रिया सृजनात्मक है। जिसका तत्काल समाधान प्राप्त हो जाए, क्योंकि इस प्रकार का हल विचारक के लिए सदैव नवीनता लिए हुए होता है।"

थर्स्टन

"सृजनात्मक चिंतन रिक्तताओं, त्रुटियों तथा अप्राप्त एवं अलभ्य तथ्यों को समझने, उनके संबंध में धारणाऐं बनाने तथा अनुमान लगाने, धारणाओं का परीक्षण करने, परिणामों को अन्य तक पहुँचाने तथा धारणाओं को पुर्नपरीक्षण करके उनमें सुधार करने की प्रक्रिया है।"

''सृजनात्मकता को साहसिक चिंतन का नाम दिया है। इससे अभिप्राय है कि प्रचलित मुख्य विचारों से परे सोचना, नवीन अनुभवों को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहना, वर्तमान को भविष्य से जोड़ना आदि। जिज्ञासा, उत्सुकता कल्पना, खोज, नवीनता, अविष्कार आदि योग्यताऐं।''

बार्टलेट

1.5.3 शैक्षिक उपलब्धि

उपलब्धि – विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास शिक्षा द्वारा होता है। प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के कुछ निश्चित उद्देश्य होते है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति विद्यालय में एक निश्चित पाठयक्रम द्वारा की जाती है। छात्रों ने निश्चित समय में कितना ज्ञान किस रूप में प्राप्त किया पूरे सत्र में छात्र ने किस विषय में कितना ज्ञान अर्जित किया यही छात्र की उपलब्धि कहलाती है।

डॉ. ए. बरौलिया के अनुसार – एक विशेष समय तक अध्ययन अथवा अभ्यास के उपरान्त कौशल ज्ञान तथा व्यवहार में क्या विकास हुआ यही छात्र की उपलब्धि है।

विद्यार्थियों की उपलब्धि को वार्षिक परीक्षा द्वारा अंको के रूप में आंका जाता है इन अंको को ही उपलब्धि के अंक कहा जाता है।

आज सामाजिक आर्थिक संस्कृति और मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों के संदर्भ में शैक्षिक उपलब्धि सबसे अधिक महत्व रखती है।

जोम्स के अनुसार – "उपलब्धि से तात्पर्य किसी प्राप्त ज्ञान से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला समस्याओं या परीक्षणों पर प्राप्त निष्पादन का मूल्यांकन है और वह अर्जित ज्ञान का प्रयोग किस सीमा तक कर सकता है या उसमें विकसित कौशल के गुण या प्रभावित के मूल्यांकन से है।"

1.6.0 अध्ययन के उद्देश्य

1.6.1 विद्यार्थियों की भाषा योग्यताओं को जानने का अध्ययन करना।

1.6.2 विद्यार्थियों की भाषागत सृजनात्मकता का अध्ययन करना।

1.6.3 विद्यार्थियों की भाषा योग्यता एवं सृजनात्मकता के मध्य सह–संबंध का अध्ययन करना।

1.7.0 परिकल्पनाएँ

1.7.1 विद्यार्थियों की भाषा योग्यताओं को जानने के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है।

1.7.2 विद्यार्थियों की भाषागत सृजनात्मकता के मध्यमानों में सार्थक अंतर नहीं है।

1.7.3 विद्यार्थियों की भाषा योग्यता एवं सृजनात्मकता के मध्य सार्थक सह–संबंध नहीं है।

1.8.0 परिसीमन

- केवल भोपाल जिले के मदरसों की कक्षा 6 के विद्यार्थियों तक सीमित किया गया है।
- शोधकर्ता द्वारा शोधकार्य को केवल 100 विद्यार्थियों तक सीमित किया गया है।
- शोधकार्य हेतु विद्यार्थियों की भाषागत उर्दू उपलब्धि एवं भाषागत सृजनात्मकता तक सीमित किया गया है।

प्रस्तुत अध्याय में भूमिका, अध्ययन की आवश्यकता, समस्या कथन, उद्देश्य, परिकल्पनाएँ, चरो की संक्रियात्मक परिभाषा, परिसीमन आदि का वर्णन किया गया है।

======***======